न्यायालय सहायक कलक्टर (द्वितीय) ,सीकर

उनवान सुप्यार कंवर बनाम दयाल सिंह आदि

किस्म मुकदमा रिसीवर 212(2) आर टी एक्ट मुकदमा नं 17/2014

दिनांक	आज्ञा पत्र
06.05.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीयागण ने आवेदन बाबत रिसीवर नियुक्त किये जाने अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में रिसीवर नियुक्त करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत रिसीवर नियुक्त किये जाने अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा ग्राम अनोखू तहसील धोद विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 107, 108, 109 व 110 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6200 है0 प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खाते कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीयागण तथा अप्रार्थी संख्या 1 बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीयागण एवं आप्रार्थी संख्या 1 के पूर्वज बालसिंह के खाते कब्जे की पैत्रक सम्पति की तथा उसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजियात में प्रार्थीयागण तथा अप्रार्थी संख्या 1 अपना अपना हिस्सा 1/3 पर सदैव से काबिज काश्त होने के बावजूद उक्त अराजियात सम्पूर्ण की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 अकेले के गलत दर्ज हो गयी। अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के बावजूदे हरे पेड काटकर व सम्पदा में खड्डे खोदकर खूर्द बुर्द करना चाहता है। प्रार्थीयागण द्वारा उक्त आवेदन में उक्त भूमि को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। वकील प्रार्थीयागण आवेदन बाबत रिसीवर नियुक्त किये जाने अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा उक्त विवादित कृषि भूमि को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त करने पर वकील उभयपक्ष सीधी बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत रिसीवर नियुक्त किये जाने अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सारभूत तथ्यो से स्पष्ट है कि उक्त भूमि पर मुकदमा नम्बर 38/2014 उनवान सुप्यार कंवर आदि बनाम दयाल सिंह आदि द्वारा आदेशिका दिनांक 13.05.2014 द्वारा कृषि भूमि ख0नं0 107, 108, 109 व 110 कुल किता 4 कुल रकबा 2.6200 है0 वाके ग्राम अलोखू तहसील धोद जिला सीकर का विक्रय एवं अन्तरण नही करने के संबध में अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबंध किया गया है। प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमियां वाके ग्राम अनोखू पटवार हल्का अनोखू तहसील धोद में अवस्थित है। इस प्रकार प्रार्थीयागण उक्त आवेदन में उक्त भूमि को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त किये जाने हेतु निवेदन को स्वीकार किया जाना संभव नही है। इस प्रकार से प्रकरण में संम्पदा व विवादित भूमि को कुर्क किया जाकर रिसीवर नियुक्त करना न्यायालय न्याय संगत नही समझता है तथा यह आप्रार्थी संख्या 1 के प्रति कठोरतम कार्यवाही होगी जो उसके न्यायिकहित को प्रभावित करेगी। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में साबित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आवेदन बाबत रिसीवर नियुक्त किये जाने अन्तर्गत धारा 212(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर यह फैसला दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर